संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी,हबीबगंज पुलिस थाना के पास,भोपाल–462016

E-Mail : mptownplan@mp.gov.in

क्रमांक / 3910 / वि.यो.496 / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 24/9/ / 2020

सिहोरा विकास योजना, 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि सिहोरा विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23, सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया हैं। जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : –

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सिहोरा

अनुसूची

क्रं	विकास योजना में निर्दिष्ट प्रावधान	उपांतरण पश्चात् प्रावधान
1	अध्याय–6 **6.2 क्षेत्राधिकार :-** 13. कोई नहीं	अध्याय–6 **6.2 क्षेत्राधिकार :-** अनुक्रमांक 12 के पश्चात अंत:स्थापित किया जाता है। 13 - झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं यदि झुग्गी/झोपड़ी को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में सिर्फ आमोद प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी का व्यवस्थापन ग्राहय होगा। इसमें भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शहरी गरीबों की परियोजनाओं को भी तदनुसार अनुमति/अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी।

अध्याय–6	अध्याय–6
सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 4 कॉलम 4	सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 4 कॉलम 4 में पेट्रोल पम्प के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 7 कॉलम 4	सारणी 6-सा-13 के क्रमांक 7 कॉलम 4 में ढाबा के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे।

व्याख्या–

1 *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, म.प्र. शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र मे वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

2 ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग।

3 *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार।

टीप :– उपरोक्त 1 एवं 2 के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्य प्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

(अजीत कुमार)
आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल